



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25031

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4342/2026

निर्मला देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 15 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम सुख मोर्य, विनोद कुमार कुशवाहा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रयागराज जिले के करछना स्थित उप-मंडल मजिस्ट्रेट को वाद संख्या 21721/2025 में दायर निषेधाज्ञा याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की प्रार्थना की।
- इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि निषेधाज्ञा की तत्काल आवश्यकता है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक यह लंबित है।
- इस न्यायालय ने पहले ही सभी अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदनों का निपटारा छह महीने के भीतर सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें कारण दर्ज करना होगा। यह निर्देश दिनांक 16.8.2017 के पत्र संख्या सीएल संख्या 24/एडमिन द्वारा जारी किया गया था। जी-II, दिनांक इलाहाबाद 16.8.2017, और वही नीचे उद्धृत है:-

"प्रेषक,

मोहम्मद फैज़ आलम खान, एचजेएस,

राजपुजारी जनरल,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रति,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सी.एल. संख्या 24/प्रशासन 'जी-II' दिनांक: इलाहाबाद 16.08.17

विषय: अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन का समयबद्ध निपटान।

महोदया/महोदय,

माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों को अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदनों का निपटान छह महीने के भीतर सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा उन्हें आदेश पत्र में कारण दर्ज करना होगा। अतः, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप इस निर्देश को अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच प्रसारित करें और इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मोहम्मद फैज़ आलम खान)

संख्या 9770/प्रशासन दिनांक इलाहाबाद का परिपत्र 'जी-II', दिनांक 16.08.2017

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त निषेधाज्ञा आवेदन पर दिनांक इलाहाबाद के परिपत्र संख्या सीएल संख्या 24/प्रशासन जी-II, दिनांक 16.8.2017 के अनुसार ही निर्णय ले।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"